सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग

क्रमांकः–प.10(1)प्रसु/सम/अनु–1/2012 जयपुर, दिनांक: 01.06.2023

परिपत्र

राज्य में सुशासन की स्थापना हेतु राजकार्य त्वरित गति से करने एवं शासन तंत्र में सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जवाबदेहिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रायः यह देखने में आया है कि शासन सचिवालय एवं विभिन्न विभागों के निदेशालयों/आयुक्तालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारीगण लंबे समय तक एक ही अनुभाग/कार्यालय में पदस्थापित रहते है, जिससे राजकार्य की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं कार्यप्रणाली की निष्ठा व विश्वसनीयता के संदेहास्पद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः राजकार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभागों/कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की एक ही स्थान पर पदस्थापन अवधि सामान्यतः 03 वर्ष व विशिष्ट प्रकृति/आवश्यकतानुसार 05 वर्ष से अधिक नहीं हो।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मा0 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. महानिदेशक, पुलिस, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/निगम/बोर्ड/आयोग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

Validity unknownSignature valid

प्रमुख शासन सचिव

Digitally signed by Usha Sharma
Designation : Chief Secretary
Date: 2023.06.01 10:11:04 IST
Reason: Approved